

डिगरी व मुकदमें ईबतदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)
सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरौही
बईजलास श्री हंसमुख कुमार , आर.ए.एस

| | | |
|---|------|--|
| वादीया | बनाम | प्रतिवादीगण |
| ओबारांम पुत्र फुसारांम जी जाति सरगरा आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी देसु तहसील आहोर जिला जालौर राज. | | 1- ईश्वरराम पुत्र खीयारामजी जाति मेघवाल आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी भांडुकला तहसील लुणी जिला जोधपुर राज. 2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरौही |

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत
वास्ते कृषि भूमि का विभाजन

राजस्व वाद सं. 28/2018

यह मुकदमा आजरूबरू सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ सिरौही व हाजरी वादी वकील श्री दशरथसिंह आढा प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट पैरोकार सरकार न्यायालय हाजा उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 2-4-2019 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये हुये है। वादी यह वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरौही(भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा बाल्दा (वेलांगरी) तहसील सिरौही जिला सिरौही मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 151 खसरा नंबर 754 रकबा 3.5600 हैक्टेयर किस्म बंजर वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन खातेदारान के वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज हक हिस्से अनुसार मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 तक की पालना करते हुये बंटवाडा कर बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में एक माह में इस न्यायालय में भेजे । वाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करें

बराब्स मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 28-8-2019 को जारी किया जाता है ।

मुदाई
स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबुत
सार्धा गवाहन
फीस कमीश्नर
मुतफरीक
बाबत इजराय हुक्मनामा
मौजान


रु. पै.

NCC

मुद्दायलाह
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
महन्ताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमीश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरीक
मौजान

रु. पै.

NCC



सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरौही (राज.) 30/00